बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

सं० :–3/अ०प्र०–1–127/2019 (खंड) 03 /पटना, दिनांक :– 10.1.24

कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत संवेदक नारायण कन्स्ट्रक्शन एवं संवेदक पुष्पा कुमारी द्वारा निविदा में अग्रधन के रूप में फर्जी बैंक गारंटी का प्रयोग किये जाने से संबंधित मामले में जाँच समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री जयंत कुमार, तत्कालीन लेखा लिपिक–सह–प्रभारी प्रमंडलीय रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–10–सह–पठित ज्ञापांक–454 दिनांक–26.02.2021 द्वारा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक– 1992 अनु0 दिनांक–30.06.2023 द्वारा श्री जयंत कुमार, तत्कालीन लेखा लिपिक–सह–प्रभारी प्रमंडलीय रोकड़पाल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य के अनुसार श्री कुमार के विरूद्ध बिना बैंक गारंटी की जाँच किये निविदा निष्पादन में योगदान करने से संबंधित आरोप सं0–1 को प्रमाणित नहीं पाया गया जबकि राज्य के बाहर के जमा बैंक गारंटी को विभागीय निदेश के बावजूद कार्यपालक अभियंता के संज्ञान में नहीं लाने से संबंधित आरोप सं0–2 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक–1646 अनु0 दिनांक–31.07.2023 द्वारा श्री जयंत कुमार, तत्कालीन लेखा लिपिक–सह–प्रभारी प्रमंडलीय रोकड़पाल से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत पाया गया कि आलोच्य निविदा में प्राप्त सभी कागज़ातों को तुलनात्मक विवरणी के रूप में उपस्थापित करने का साक्ष्य उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

अतएव वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री जयंत कुमार, तत्कालीन लेखा लिपिक–सह–प्रभारी प्रमंडलीय रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उन्हें चेतावनी, जिसकी प्रविष्टि उनके सेवापुस्त में की जाएगी, संसूचित की जाती है।

09/1/24

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3 / अ०प्र०–1–127 / 2019 (खंड) 73 / पटना, दिनांक :– 10-1-24

प्रतिलिपि :–मुख्य अभियंता–1 / 2, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद / पूर्णियाँ / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद / बारसोई / प्रशाखा पदाधिकारी, पशाखा–8, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री जयंत कुमार, तत्कालीन लेखा लिपिक–सह–प्रभारी प्रमंडलीय रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/1/24

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3 / अ०प्र०–1–127 / 2019 (खंड) 73 / पटना, दिनांक :–10-1-24

प्रतिलिपि :–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/1/24

अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@